भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3399
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

एफटीएससी द्वारा निपटाए गए मामलों का औसत

3399. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उसी अवधि के दौरान प्रति एफटीएससी निपटाए गए मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार औसत वार्षिक संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने एफटीएससी की निपटान दक्षता और लंबितता के स्तर के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ग) यदि हां, तो एफटीएससी में निपटान दरों में सुधार करने और लंबितता को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के साथ तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं ;

(घ) वर्ष 2019 से देश में कार्यात्मक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है ; और

(ङ) वर्ष 2019 से एफटीएससी द्वारा दर्ज किए गए और निपटाए गए पॉक्सो और बलात्कार के मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के अधीन अपराधों से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित विचारण और निपटान के लिए अक्टूबर 2019 में विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) सहित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना आरंभ की गई थी। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रति एफटीएसी औसत वार्षिक निपटान **लगभग 7** मामले रहे हैं । प्रति एफटीएससी द्वारा निपटाए गए मामलों की औसत संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध-1** में दिया गया है।

एफटीएससी योजना को आगे बाढाने की मांग के साथ-साथ इसके प्रभाव का निर्धारण समय-समय पर तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के माध्यम से किया गया है अंतिम मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा किया गया है । नीति की तीसरे पक्ष की रिपोर्ट ने महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान, लंबितता में कमी और यौन अपराधों के शिकार, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक वातावरण प्रदान करने के अपने मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए एफटीसीएस योजना को जारी रखने की सिफारिश की है।

इसके अतिरिक्त, एफटीएससी के कामकाज को मजबूत करने के लिए, विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र और उच्च न्यायालयों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। माननीय विधि और न्याय मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को समय पर कार्रवाई और पॉक्सो अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन समय सीमा के सख्त अनुपालन की आवश्यकता के संबंध में लिखा है। इसके अतिरिक्त, अंतर-सरकारी समन्वय में सुधार और न्याय वितरण में तेजी लाने के लिए अंतर-राज्यीय क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में एफटीएससी का प्रदर्शन एक नियमित कार्यसूची मद है।

(घ) और (ङ) : तारीख 30.06.2026 तक, उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र में 399 अनन्य **पॉक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालयों सहित 779 एफटीएससी** कार्यरत थे। योजना की शुरुआत से लेकर तारीख 30.06.2026 तक, इन न्यायालयों ने **3,96,940 मामलों** का निपटारा किया है, जबकि **2,56,097 मामले लंबित हैं।** देश में कार्यरत एफटीएससी का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण **उपाबंध-2** में दिया गया है। वर्ष 2023 से एफटीएससी द्वारा संस्थित और निपटाए गए पॉक्सो और बलात्कार के मामलों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण **उपाबंध-3** में दिया गया है।

उपाबंध- 1

प्रत्येक एफटीएससी में निपटाए गए मामलों की औसत संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	प्रतिवर्ष 165 मामले अर्थात् प्रतिमाह 13.75 मामलों के आदेश के विरुद्ध औसत निपटान	
		2025	2026 (जनवरी-जून)
1	आंध्र प्रदेश	14	13
2	असम	12	10
3	बिहार	10	11
4	चंडीगढ़	11	10
5	छत्तीसगढ	8	8
6	दिल्ली	4	4
7	गोवा	4	5
8	गुजरात	9	10
9	हरियाणा	9	9
10	हिमाचल प्रदेश	4	6
11	जम्मू - कश्मीर	2	1
12	कर्नाटक	9	8
13	केरल	8	7
14	मध्य प्रदेश	7	6
15	महाराष्ट्र	5	6
16	मणिपुर	2	2
17	मेघालय	3	3
18	मिजोरम	2	1
19	नागालैंड	1	5
20	ओडिशा	10	8
21	पुडुचेरी	6	9
22	पंजाब	9	7
23	राजस्थान	8	7
24	तमिलनाडु	11	9
25	तेलंगाना	6	7
26	त्रिपुरा	3	1
27	उत्तराखंड	6	8
28	उत्तर प्रदेश	6	4
29	पश्चिमी बंगाल	5	3
	औसत	***7***	***7***

उपाबंध- 2

वर्ष 2020 से देश में कार्यरत एफटीएससी की राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र -वार और वर्ष-वार ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य/_संघ राज्यक्षेत्र	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	आंध्र प्रदेश	8	10	14	16	16	16	16
2	असम	7	15	17	17	17	17	17
3	बिहार	45	45	45	46	46	54	54
4	चंडीगढ़	1	1	1	1	1	1	1
5	छत्तीसगढ	15	15	15	15	15	15	15
6	दिल्ली	0	16	16	16	16	16	16
8	गोवा	0	0	1	1	1	1	1
7	गुजरात	35	35	35	35	35	35	35
9	हरियाणा	16	16	16	16	16	18	18
10	हिमाचल प्रदेश	3	6	6	6	6	6	6
11	जम्मू - कश्मीर	0	4	4	4	4	4	4
12	झारखंड*	20	22	22	22	22	0	0
13	कर्नाटक	14	18	30	31	30	30	30
14	केरल	23	28	52	54	55	55	55
15	मध्य प्रदेश	66	67	67	67	67	67	67
16	महाराष्ट्र	25	34	39	19	6	37	38
17	मणिपुर	0	2	2	2	2	2	2
18	मेघालय	0	5	5	5	5	5	5
19	मिजोरम	0	3	3	3	3	3	3
20	नगालैंड	0	1	1	1	1	1	1
21	ओडिशा	15	36	44	44	44	44	44
22	पुडुचेरी	0	0	0	1	1	1	1
23	पंजाब	3	12	12	12	12	12	12
24	राजस्थान	45	45	45	45	45	45	45
25	तमिलनाडु	14	14	14	14	14	20	20
26	तेलंगाना	19	25	34	36	36	36	36
27	त्रिपुरा	3	3	3	**3**	3	3	3
28	उत्तर प्रदेश	218	218	218	218	218	218	218
29	उत्तराखंड	4	4	4	4	4	4	7
30	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	3	6	8	9
	कुल	**599**	**700**	**765**	**757**	**747**	**774**	**779**
* तारीख **07.07.2026** के पत्र के माध्यम से झारखंड राज्य योजना से बाहर निकल गया है।								

उपाबंध- 3

वर्ष 2023 से एफटीएससी **द्वारा संस्थित किए गए और निपटाए गए पॉक्सो और ब्लातकार के मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा**

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	2023 (जनवरी-दिसंबर)		2024 (जनवरी - दिसंबर)		2025 (जनवरी - दिसंबर)		2026 (जनवरी-जून)	
		पंजीकृत मामले	निपटाए गए मामले	पंजीकृत मामले	निपटाए गए मामले	पंजीकृत मामले	निपटाए गए मामले	पंजीकृत मामले	निपटाए गए मामले
1	आंध्र प्रदेश	2279	2368	1419	2138	2159	2701	709	1226
2	असम	3624	2300	3847	2685	2997	2393	1232	983
3	बिहार	6515	4464	6245	4556	7770	5836	4523	3425
4	चंडीगढ़	198	128	99	73	105	131	40	60
5	छत्तीसगढ	1066	1450	1164	1365	1181	1410	1193	733
6	दिल्ली	1005	756	768	833	675	819	255	420
8	गोवा	32	23	38	51	64	49	29	29
7	गुजरात	4003	4275	3593	4228	3217	3790	2079	2118
9	हरियाणा	1939	2094	2045	1911	2234	1779	970	937
10	हिमाचल प्रदेश	214	299	237	432	262	306	101	225
11	जम्मू - कश्मीर	76	41	164	112	82	102	75	34
12	झारखंड*	2216	2189	2151	2313	929	979	0	0
13	कर्नाटक	3595	3713	3570	3553	3499	3260	1802	1437
14	केरल	7255	7044	5462	6324	4153	4998	2697	2407
15	मध्य प्रदेश	5896	8130	6238	6152	6213	5374	2892	2348
16	महाराष्ट्र	2817	6811	1454	3716	44568	1009	35598	1354
17	मणिपुर	12	48	18	45	23	47	1	19
18	मेघालय	204	135	252	265	257	164	108	83
19	मिजोरम	120	60	63	73	83	62	25	23
20	नगालैंड	5	6	9	11	19	12	17	29
21	ओडिशा	4626	5153	4264	5747	4614	5066	2165	2122
22	पुडुचेरी	59	44	79	78	111	72	31	52
23	पंजाब	1089	1502	1221	1127	1205	1277	450	533
24	राजस्थान	3533	4213	3615	4288	3206	4415	1278	1968
25	तमिलनाइ	2847	1861	2903	2670	7314	2211	2381	1075
26	तेलंगाना	2486	1720	2461	2499	3160	2567	1367	1553
27	त्रिपुरा	88	163	66	89	121	109	38	26
28	उत्तर प्रदेश	23246	14898	33393	27640	41378	14848	16695	5209
29	उत्तराखंड	351	383	606	437	484	290	160	220
30	पश्चिमी बंगाल	75	48	1458	184	1853	424	827	168
	कुल	**81471**	**76319**	**88902**	**85595**	**143936**	**66500**	**79738**	**30816**
* तारीख 07.07.2026 के पत्र के माध्यम से झारखंड राज्य योजना से बाहर निकल गया है।									
